राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर

पीठासीन अधिकारीः— शकुन्तला चौधरी

मुकदमा नम्बरः—102/2020

1. रईसा बानो पत्नी अलादीन खां जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर
2. गुलनाज पुत्री अलादीन खां पत्नी रिजवानुल हक निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर
3. महनाज बानो पुत्री अलादीन खां पत्नी आफताब आलम खान निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर
4. शहनाज बानो पुत्री अलादीन खां पत्नी नफीस अहमद निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर
5. मुख्तार पासा पत्नी स्व. मो. अयाज जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर
6. जकिया आलम पुत्री मो0 अयाज जाति कायमखानी निवासी क्यामसर तहसील मलसीसर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. आरिफ पुत्र स्व. अब्दुल हमीद
2. इसताक पुत्र स्व. अब्दुल हमीद
3. सज्जाद हुसैन पुत्र स्व. अब्दुल हमीद
4. सारिक पुत्र स्व. अब्दुल हमीद
5. जाकिर हुसैन पुत्र स्व. अब्दुल हमीद
   —समस्त जाति कायमखानी निवासीगण क्यामसर तहसील मलसीसर
6. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी, तहसील मलससीर, जिला झुंझुनूं जरिये मैनेजिंग डाईरेक्टर बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा धनूरी, तहसील मलसीसर जिला झुंझुनूं।
7. राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार मलसीसर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अ.धा 136 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक :— 16.02.2021

निर्णय

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्त इस आशय का पेश किया है कि एक वाद बाबत विभाजन व राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का उनवानी सलामुदीन खां वगै0 बनाम अब्दुल हमीद वगै0 मुकदमा नं. 43/91 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं की अदालत में दायर हुआ था जिसका निर्णय उक्त अदालत द्वारा दिनांक 16.04.1992 को किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के द्वारा प्रार्थीगण के पूर्वज अलादीन खां को उक्त खसरा नम्बरान में बटवारें में गत ख.न. 290 रकबा 24 बीघा 15 बिश्वा पुखता के उतरी हिस्से की 16 बीघा 7 बिस्वा पुख्ता भूमि दी गई व अन्य खसरा नम्बरान की शेष दक्षिणी हिस्से की रकबा 08 बीघा 08 बिस्वा पुख्ता उक्त अब्दुल हमीद , मो. हाफीज को अकेले को दी गई व इनको अन्य खसरा नम्बरान में भी बंटवारे में भूमि दी गई। उक्त निर्णय व डिक्री के तहत नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 05.06. 1992 को राजस्व कैम्प मौजा धनूरी में मंजूर किया गया व भू—प्रबंधक विभाग के द्वारा बहक उक्त अलादीन के हक में उक्त निर्णय व डिक्री के तहत बंटवारे में आई आरानियात के हाल ख.न. 233 रकबा 4.14 है0 बरानी प्रथम व हाल ख.न. 319 रकबा 2.07 है0 बारानी प्रथम किता 02 कुल रकबा 6.21 है0 बारानी प्रथम मौजा क्यामससर तहसील मलसीसर, झुंझुनूं कायम किये गये व उक्त अब्दूल हमीद के हम में हाल ख.न. 208 रकबा 1.64 है0 बारानी प्रथम, ख.न. 289 रकबा 2.01 है0 बारानी प्रथम किता 03 कुल रकबा 5.48 है0 बारानी प्रथम मौजा क्यामसर तहसील झुंझुनूं कायम हुये है। मौजुदा नक्शा में भी उपरोकत आराजीयान दर्ज कि गई मगर राजस्व रिकार्ड का रकबा तो पक्षकारान के हम में सही दर्ज हो गया मगर राजस्व अधिकारियों की भूल व गलती से उक्त ख.न. 233 रकबा 4.14 है0 को नक्शे में उतरी हिस्से में दर्ज करने के बजाय गलती से नक्शे में दक्षिणी तरफ दर्ज कर दिया गया। अप्रार्थीगण के पूर्व अब्दूल हमीद को मूल ख.न. 290 की दक्षिणी तरफ की भूमि दी गई थी उसको उत्तरी हिस्से में ख.न. 232 दर्ज कर दिया गया। जबकी उक्त हाल ख.न. 232 रकबा 2.13 है0 को नक्शे में दक्षिणी तरफ दर्ज करना चाहिए था व उक्त हाल ख.न. 232 दक्षिणी की बजाय उत्तरी तरफ दर्ज करना चाहिये था। इसलिए उक्त आराजियान हाल ख.न. 233 व 232 का मौजूदा नक्शा गलत दर्ज हो गया जो काबिले दुरूस्ती है। वाद पत्र दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगणों को वास्ते जबाबदेही तलब किया गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगणों ने जरिये प्रतिवादीगण वकील द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे, हम अप्रार्थीगण स. 01 लगायत 05 का कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

तहसीलदार को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का रकबा तो ... है, परंतु भूमि का नक्शा विपरित दिशा में दर्ज है। इस प्रकार उक्त विवेचन से प्रार्थीण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कि... जाना उचित एंव न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार मलसीसर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम क्यामसर में स्थित ख.न. 233 रकबा 4.14 है0 को नक्शे में उत्तरी हिस्से में दर्ज करें एवं ख.न. 232 रकबा 2.14 है0 को दक्षिणी हिस्से में दर्ज करें। नक्शें में तरमीम करें। शेष इन्द्राजात यथावत रहेंगें।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर